संख्या:21/2020/280 ई-2/तेरह-2020-230/2000

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2020

विषय:- मेसर्स टिकोला आसवनी मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 135 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 262.5 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-93/दो-प्रा.डी.-71/टिकोला आसवनी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या-जी-113/दो-प्रा.डी.-71/टिकोला आसवनी, दिनांक 04 फरवरी, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त दिनांकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मे. टिकोला आसवनी मुजफ्फरनगर की क्षमता 135 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 262.5 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक क्षमता वृद्धि के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।